प्रैस विज्ञप्ति

दिनांकः 16.05.2019

थाना खुर्जानगर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही में 25,000 रुपये का पुरूस्कार घोषित अपराधी गुल्वा उर्फ गुलावो उर्फ शरीफ गिरफ्तार, एक सुपर स्पलैण्डर मोटर साईकिल एवं एक तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक देहात श्री मनीष मिश्र के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खुर्जा श्री गोपाल सिंह के निकट पर्यवेक्षण मे दिनांक 15/16.05.19 की रात्रि मे प्रभारी निरीक्षक खुर्जानगर श्री अरविन्द कुमार मय पुलिस फोर्स के क्षेत्र मे तलाश वांछित अपराधी एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग मे मामूर थे तथा चैकिंग करते हुए ढाकर तिराहे पर पहुंचे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक अभियुक्त सीकरी बम्बे की पटरी पर सीकरी की तरफ से आ रहा है जो पूर्व से कई मुकदमो मे वांछित चल रहा है, जिसके पास अवैध असलाह भी है। इस सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक खुर्जानगर मय पुलिस टीम के ढाकर तिराहे पर पहुँचे तथा चैकिंग करने लगे कि कुछ समय बाद सामने से एक मोटर साईकिल आती दिखाई दी जिसको टॉर्च की रोशनी दिखाकर रूकने का इशारा किया गया तो मोटर साईकिल सवार बदमाश पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम द्वारा बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश द्वारा अपने आपको घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिस पर पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किए गए, जिसमे बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश को घायलावस्था में हिरासत में लेकर उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। उक्त पकड़े गये बदमाश के कब्जे से एक मोटर साईकिल एवं एक तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद हुए हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. गुल्वा उर्फ गुलावो उर्फ शरीफ पुत्र हजारी निवासी ग्राम रोहिन्दा थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 तमंचा 315 बोर मय 04 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस।
2. एक सुपर मोटर साईकिल स्पैलण्डर नम्बर यूपी-13एयू-3097

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त गुल्वा उर्फ गुलावो उर्फ शरीफ शातिर किस्म का अपराधी है जो पूर्व मे थाना खुर्जानगर पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर फरार हो गया था। अभियुक्त गुल्वा उर्फ गुलावो उर्फ शरीफ द्वारा अपने अन्य सहभियुक्तो के साथ मिलकर थाना खुर्जानगर व पहासू क्षेत्र मे लूट की घटनाएं कारित की गयी है जिनमे वह काफी समय से वांछित चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी के लगातार सार्थक प्रयास किये जा रहे थे तथा गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा 25,000 रूपये का पुरूस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्त के विरूद्ध थाना खुर्जानगर व पहासू पर लूट आदि अपराधो के निम्न अभियोग पंजीकृत है-

अभियुक्त गुल्वा उर्फ गुलावो उर्फ शरीफ का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0-302/18 धारा 392 भादवि थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर। **(वांछित)**
2- मु0अ0सं0-1049/18 धारा 392/342/411 भादवि थाना खुर्जानगर जनपद बुलन्दशहर। **(वांछित)**
3- मु0अ0सं0-130/19 धारा 41/102 दप्रसं व 307/414 भादवि(पुलिस मुठभेड) खुर्जानगर बुलन्दशहर। **(वांछित)**
4- मु0अ0सं0-279/19 धारा 307 भादवि(पुलिस मुठभेड) थाना खुर्जानगर जनपद बुलन्दशहर।
5- मु0अ0सं0-280/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना खुर्जानगर पर मु0अ0सं0-279/19 धारा 307 भादवि(पुलिस मुठभेड) एवं मु0अ0सं0-280/19 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री अरविन्द कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना खुर्जा नगर
2. व0उ0नि0 प्रमोद कुमार, उ0नि0 सुनील कुमार शर्मा, उ0नि0 सन्दीप कुमार, उ0नि0 विपिन कुमार
3. का0 विनीत कुमार, का0 सुनील कुमार, का0चालक सुनील कुमार।